न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं0 एम0 133 / 2022
धारा 144 दण्ड प्रकिया संहिता

प्रथम पक्ष..... हरिशंकर साहु .....(वगैरह)
बनाम
द्वितीय पक्ष ..... बड़िया मुण्डा .....(वगैरह)

20.1.23

वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 10/2022 दिनांक 02/10/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) हरिशंकर साहु पिता स्व० राम लोचन साहु (2) कैलाश साहु पिता रामु साहु (3) जितवाहन साहु पिता चामु साहु सभी ग्राम अम्मा पकखना थाना तोरपा जिला खुटी **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) बड़िया मुण्डा, पिता मंगरा मुण्डा उम्र 50 वर्ष (2) भरमु मुण्डा पिता कमल मुण्डा उम्र 50 वर्ष (3) लोढ़ा मुण्डा उर्फ लोधा मुण्डा पिता कमल मुण्डा उम्र 55 वर्ष (4) भिखु टोप्पनो पिता कर्मा तोपनो उम्र 30 वर्ष (5) रसिका मुण्डा उर्फ लगन पाहन पिता लोदो मुण्डा उम्र 35 वर्ष (6) लगन तोपनो पिता जूठू तोपनो उम्र 30 वर्ष (7) मठठु बारला पिता दीना बारला उम्र 55 वर्ष (8) जगम तोपनो पिता जेठु तोपनो उम्र 40 वर्ष सभी ग्राम ओरमेंझा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा ओरमेंजा के खाता सं0 1, 2 प्लॉट सं0 177, 178, 179, 224, 225, 374, 237, 238, 239, 240, 256, 357, 358, कुल रकबा 9.92 डी० जमीन को लेकर उभय पक्षो के बीच विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने विधि–व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न हो सकती है । थाना प्रभारी कामडारा के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये है।

प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एंव दाखिल कागजात :–

प्रथम पक्ष नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रस्तुत वाद प्रथम पक्ष हरिशंकर साहु के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर द्वि0 पक्ष बड़िया मुण्डा व अन्य के विरूद्ध धारा 144 दं०प्र० सं० के तहत् आरंभ की गई है । उक्त वाद जमीन विवाद को लेकर है जिसमे प्रथम पक्ष के सदस्य धान लगाये है जो पक के तैयार है और उक्त फसल नष्ट होने के कागार पर है । उक्त जमीन अन्तर्गत मौजा– ओरमेजा थाना कामडारा जिला गुमला के खाता नं० – 01, प्लाट नं०– 178, 237, 238, 239, 240, 225 / 374, 357 रकबा– 0.27 एकड़, 2.26 एकड़, 1.62 एकड़, 0.13 एकड़, 0.31 एकड़, 0.04 एकड़, 0.98 एकड़ और खाता नं० – 02, प्लाट नं०– 177, 179, 224, 358, 356 रकबा– 1.16 एकड़, 0.05 एकड़, 0.59 एकड़, 1.80 एकड़,

2.48 एकड़ से संबंधित है जो आर0 एस० सर्वे के रिकार्ड ऑफ राइट मे खाता नं0–01 मझियस महाराजा प्रताप उदय नाथ शाहदेव दर्ज है और खाता नं० 02 आर० एस० सर्वे के रिकार्ड ऑफ राइट मे गैरमजरूवा मझियस मालिक महाराजा प्रताप उदयनाथ शहदेव के नाम दर्ज है । उपरोक्त खाता नं0–01, प्लॉट नं0 – 178 237 238 239 240 225/374 357 रकबा कमशः 0.27 एकड़ मे पूरा 0.27 एकड़, 2.26 एकड़ मे से 1.51 एकड़, 1.62 एकड़ मे से पूरा 1.62 एकड, 0.13 एकड़ मे पूरा 0.13 एकड, 0.31 एकड़ मे पूरा 0.31 एकड, 0.04 एकड़ मे से 0.02 एकड, 0.98 एकड़ मे पूरा 0.98 एकड़ कुल रकबा 4.84 एकड़ चार एकड़ चौरासी डिसमिल है। रजिस्ट्री पट्टा संख्या 6496 दिनांक– 27.06.69 को जुलुमनाथ तिवारी पिता अमरनाथ तिवारी से सुखलु साहु और सोमरा साहु प्र० पक्ष के पूर्वज संयुक्त रूप से खरीदगी प्राप्त किये है और तब से शांतिपूर्वक दखलकार होकर खेती बारी करते चले आ रहे है और सरकार को लगान अदा करते आ रहे है । उसी तरह खाता नं0–02, प्लॉट नं0 – 177, 179, 358, 224, 356 , रकबा – 0.16 एकड़, 0.05 एकड, 1.80 एकड, 0.59 एकड, 2.48 एकड़, कुल रकबा – 5.08 एकड़ जमीन जमीन रजिस्ट्री पट्टा सं0– 6497 दिनांक 27.06.1969 को जुलुमनाथ तिवारी पिता अमरनाथ तिवारी से प्र० पक्ष के पूर्वज सुखलु साहु और सोमरा साहु संयुक्त रूप से खरीदगी प्राप्त किये है और बिना रोक–टोक के सन् 1969 अर्थात् 52 साल से ज्यादा से खेती करते आ रहे है और सरकार को लगान अदा करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी धान की खेती किये है जो पक के तैयार हैं । क्रेता सुखलु साहु और सोमरा साहु जो प्र0 पक्ष के पूर्वज है उनकी वंशावली निम्न है :–

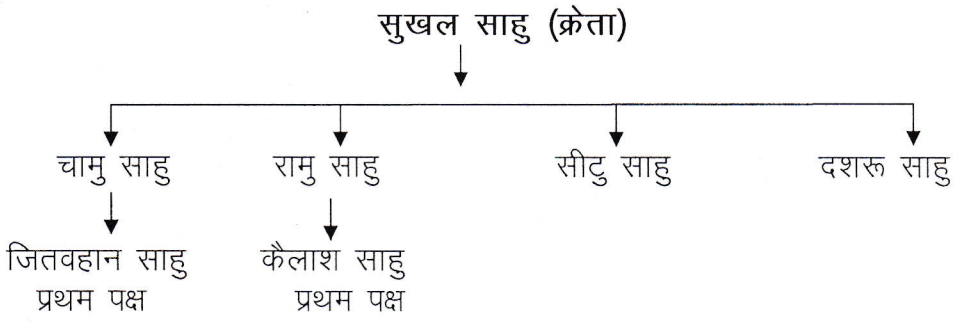

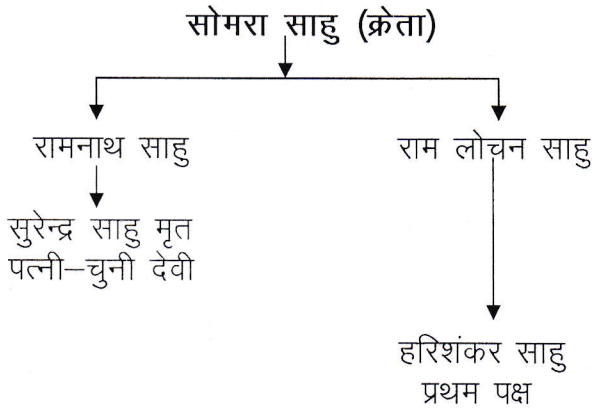

उपरोक्त जमीन का जमाबंदी सुखलु साहु और सोमरा साहु के नाम जमाबंदी कायम है जो भोलुम नं0–01 पेज नं० 25 पर दर्ज है यह कि द्वि० पक्ष के पूर्वज मंगरा मुण्डा खाता नं० 01, प्लाट नं0 – 237, 0.75 रकबा 2.26 एकड़ में से 0.75 एकड़ तथा प्लाट नं0 – 375 रकबा 0.04 एकड़ में से 0.02 एकड़ लिये है और उक्त खाता के शेष जमीन पर प्र० पक्ष के पूर्वज रजिस्ट्री पट्टा से खरीद किये हैं । प्रश्नगत जमीन पर द्वि० पक्ष का किसी तरह का कोई हक व दावा नही बनता है और बिना हक व सरोकार के प्र० पक्ष के जमीन पर बलपूर्वक दावा कर रहे है । प्रश्नगत जमीन प्र० पक्ष जुलुमनाथ तिवारी से रजिस्ट्री पट्टा से सन 1969 मे खरीदगी प्राप्त किये है । जुलुमनाथ तिवारी और सन 1957 मे

जमीन्दार से खरीदगी प्राप्त किये थे जो भोलुम नं0 05 पेज नं0 100 पर दर्ज है । द्वि० पक्ष के सदस्य संख्या बल मे अधिक है और बल पूर्वक प्र० पक्ष के खरीदगी जमीन पर दावा कर रहे है और खड़ी फसल को जानवर से चरा दिये हैं और कभी भी प्र० पक्ष के सदस्य पर हमला कर सकते है।

उपरोक्त वर्णित एवं साक्ष्यों के आधार पर श्रीमान से अनुरोध है कि धारा 144 द०प्र० स० की कार्रवाई प्र० पक्ष के हित मे बिलुप्त करते हुए द्वि० पक्ष के सदस्यों के विरूद्ध स्थिर किया जाय ।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1 खतियान की छायाप्रति।
2 रजिस्ट्री पट्टा सं0 6497 दिनांक – 27.06.69 की छायाप्रति।
3 रजिस्ट्री पट्टा सं0 6496 दिनांक – 27.06.69 की छायाप्रति।
4 ऑनलाईन रसीद की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :–

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि द्वितीय पक्ष की ओर से किसी तरह की शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है बल्कि प्रथम पक्ष की ओर से शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है। प्रथम पक्ष के लोग द्वितीय पक्ष के शांतिपूर्ण कब्जा भूमि में अनेक तरह की कठिनाई उत्पन्न कर रहे है। खाता नं. 01, प्लॉट नं. 178, रकबा 0.27 ए., प्लॉट नं. 237 रकबा 1.26 ए., प्लॉट नं. 238 रकबा 1.62 ए., प्लॉट नं. 234 रकबा 0.13 ए., प्लॉट नं. 240 रकबा 0.21 ए., प्लॉट नं. 225ध्374 रकबा 0.04 ए., प्लॉट नं. 347 रकबा 0.98 ए. कुल रकबा 5.61 ए. एवं खाता नं. 02, प्लॉट नं. 177 रकबा 0.16 ए., प्लॉट नं. 179 रकबा 0.05 ए. प्लॉट नं. 358 रकबा 1.80 ए. प्लॉट नं. 224 रकबा 0.59 ए. प्लॉट नं. 356 रकबा 2.48 ए. कुल रकबा 5.08 ए. गैरमजरुआ है। जमीनदार हम रैयतो से स्थापानामा नहीं लिया है 1932 से पूर्व और अभी तक जमीन में द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्वक दखल कब्जा में है जिसका प्रमाण 1932 का आर एस खतियान से प्रमाणित होता है। गत सर्वे में खाता नं. 01 के सभी प्लॉटों मझियस भूतपूर्व जमींदार महाराजा उदयनाथ शाहदेव के नाम बना था तथा गत सर्वे में सभी प्लॉटों पर द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से दखल कब्जा दर्ज है तथा जमीनदारी उन्मूलन के पूर्व से ही द्वितीय पक्ष के वारीसान अभी तक खेति–बारी करते आ रहे है। जमीन उन्मूलन के बाद उपरोक्त वर्णित सभी जमीन सरकार द्वारा हासिल की गई तथा सरकार द्वारा बिहार सरकार भू–राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल कार्यालय कामडारा द्वारा सभी जमीनों पर दखलकार कब्जा अनुसार बन्दोबस्त एवं माल निर्धारित करते हुए द्वितीय पक्ष के पूर्वजों के नाम से बंदोबस्ती विभिन्न बंदोबस्ती नंबरों के द्वारा किया गया है तथा सभी द्वितीय पक्ष सभी जमीनों पर दखलकार होकर चले आ रहे है। द्वितीय पक्ष ग्राम ओरमेंजा का स्थायी निवासी है तथा द्वितीय पक्ष सरल सीधा साधारण आदिवासी समुदाय के सदस्य है। प्रथम पक्ष के सभी सदस्य तेली समुदाय के सदस्य है तथा ग्राम अम्बापखना के निवासी है जो तोरपा अंचल खूँटी जिला के अंतर्गत पड़ता है ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष का दावा करना या किसी भी तरीके से नाजायज कागज बनवाकर गरीब आदिवासी द्वितीय पक्ष के सदस्यों को तंग कर दखल करना चाहते है तथा अंचल कार्यालय के मिलिभगत से ऑनलाइन कराकर दखल कब्जा विवादित जमीनों पर कब्जा करना चाहते अशान्ति फैला रहे है जो सरासर गलत एवं गैरकानूनी है। विवादित जमीन पर द्वितीय पक्ष द्वारा धान की फसल उपजाई गई है जिसकी कटनी करना अनिवार्य है। स्थानीय पुलिस ने तोड़ मरोड़ कर तथ्य को प्रतिवेदित किया है। उपयुक्त परिस्थितियों में वर्तमान कार्यवाही जारी रखने योग्य नहीं है।

श्रीमान् से नम्र प्रार्थना है कि कारण पृच्छा को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष के विरूद्ध जारी नियम को रद्द किया जाय एवं प्रथम पक्ष के विरूद्ध लागु किया जाय, जिसके लिए द्वितीय पक्ष सदा आभारी रहेगें।

द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

1. खतियान की छायाप्रति।
2. सरकार द्वारा निर्गत लाल पर्चा की छायाप्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब, कागजात, बहस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा ओरमेंजा के खाता सं0 1, 2 प्लॉट सं0 177, 178, 179, 224, 225, 374, 237, 238, 239, 240, 256, 357, 358, कुल रकबा 9.92 एकड़ जमीन से संबंधित है। वर्तमान में वादग्त भूमि को लेकर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही बिना गुण–दोष के समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.23 16:34:25 +05:30
Location: 192.168.1.4